जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2018 नायब सिंह पुत्र श्री काका सिंह जाति मजहबी सिख निवासी चक 1 एम एस डी ए तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान बनाम स्वामी विवेकानन्द उच्च प्राथमिक संस्कृत विधालय मुकलावा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26–09–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री नायब सिंह उपस्थित नही है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2018 के द्वारा स्वामी विवेकानन्द उच्च प्राथमिक संस्कृत विधालय मुकलावा को प्रस्तुत कर सूचनाए चाही थी जो उसे निर्धारित अवधि मे उपलब्ध नही करवाई जाने के कारण यह अपील पेश की गई है और प्रार्थना की गई है कि उसे वांछित सूचनाएं दिलवाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन से यह पाया कि अपीलार्थी ने स्वामी विवेकानन्द उच्च प्राथमिक संस्कृत विधालय मुकलावा से सूचनाए प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2018 को प्रस्तुत किया था। जिसमें उसने निम्न सूचनाए चाही थीः–

> श्री मान जी आपके द्वारा दिनांक 25.02.2010 को शकुन्तला देवी पुत्री ओमप्रकाश जिसकी जन्म तिथि 25.08.1983 है कि टी.सी. आपके विधालय के डाक डिस्पेच रजिस्टर में किस कमांक पर दर्ज की जाकर जारी की गई है। उस रजिस्टर की प्रमाणित प्रति व टी.सी. की जो कार्यालय प्रति जो आपके कार्यालय में रखी गई उस कार्यालय प्रति की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाये।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानो के तहत शिक्षा विभाग से सम्बधिंत मामलों में अपील सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नही है इसलिए अपीलार्थी को शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अपील अधिकारी के समक्ष ही अपील के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील यहाँ से खारिज करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अपील अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानन्द उच्च प्राथमिक संस्कृत विधालय मुकलावा को भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर